

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 23/2020

निर्णय दिनांक -16.06.2020

भगवन्ती देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

-प्रार्थी0

// वनाम //

1. मांगीलाल पिता भेरूलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. शंकरलाल पिता भगवाना जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. मधुकान्ता आमेटा पत्नि प्रेमचन्द जाति ब्राहामण उम्र वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. तहसीलदार तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा लसडावन पटवार हल्का लसडावन तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 98 की आराजी नं0 1399 रकबा 0.0800 हैक्टेयर आराजी नं0 1400 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, आराजी नं0 1401 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.4300 हेक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा लसडावन पटवार हल्का लसडावन तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 98 की आराजी नं0 1399 रकबा 0.0800 हैक्टेयर आराजी नं0 1400 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, आराजी नं0 1401 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.4300 हेक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 16.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

निम्बाहेड़ा

Scanned with Cam

